

**राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)**

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 24 जनवरी, 2022

आदेश

विषय : Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत पेंशनर एवं दिनांक 1.1.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों हेतु आउट डोर चिकित्सा एवं उपचार के संबंध में।

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा 5 में उल्लेखित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.11.2021, 18.11.2024, 14.12.2021 एवं 13.01.2022 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये औषधियों हेतु वित्तीय सीमा बढ़ाने हेतु कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी को अधिकृत किया गया था। शिथिलन की यह अवधि वर्तमान में दिनांक 28.2.2022 तक प्रभावी है।

इसी क्रम में आउडडोर चिकित्सा एवं उपचार हेतु औषधियों की वित्तीय सीमा रुपये 20,000/- प्रतिवर्ष से अधिक बढ़ाये जाने हेतु आर.जी.एच.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिसके लिये औषधियों की वित्तीय सीमा बढ़ाने हेतु ऑनलाइन अतिरिक्त राशि वृद्धि हेतु सक्षम स्तर निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :

क्र.सं.	सक्षम स्तर	अतिरिक्त राशि वृद्धि
1.	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राज. जयपुर	सामान्य मामलों में रु. 20,001 /- से रु. 1.00 लाख तक विशिष्ट बीमारियों में रु. 20,001 /- से रु. 2.00 लाख तक
3.	प्रशासनिक विभाग - वित्त (बीमा) विभाग	सामान्य मामलों में रु. 4.00 लाख अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक विशिष्ट बीमारियों में रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक
4.	वित्त (बजट) विभाग	सामान्य मामलों में रु. 200 लाख अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक विशिष्ट बीमारियों में रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक

यह आदेश दिनांक 1.1.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर भी लागू होंगे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)
